e of India The Gazett

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2010/वैशाख 1, 1932

No. 206]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2010

सं. फेमा 204/2010-आर.बी,

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2010

सा,का.नि. 340(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के परंतुक (ख) के और धारा 47 की उप-धारा (2) के परन्तुक (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में, समय-समय पर यथासंशोधित, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :---

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1.

- ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (ii) ये इसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) से लागू होंगे ।

विनियमावली में संशोधन 2.

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 के उप-विनियम में (2) में निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— 1487 GI/2010

"(3) एक प्राधिकृत व्यापारी भारत में, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अधीन, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी संस्थान की शाखा, अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित के विनियम 5 के परन्तुक (ii) के अनुसार विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में संस्थापित परियोजना कार्यालयों को भारत में निष्पादित को जाने वाली परियोजनाओं के लिए ब्याज रहित विदेशी पुजा खाता खोलने, रखने और बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं।"

यह माना जाएगा कि यह विनियम 17 मई, 2005 @ से लागू है।

(ii) विनियम 6 के उप-विनियम (3) में उपर्युक्त परन्तुक (i) द्वारा "विदेशी मुद्रा खाता" शब्दों के लिए यथासंशोधित "एक अथवा अधिक विदेशी मुद्रा खाते" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे 31 जुलाई, 2008 से लागू माना जाएगा ।

> [फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वोल्यूम IV(पार्ट फाइल)] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :---

- @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (ii) मूल विनियम 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 393(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:--
 - (क) सं. सा.का.नि 675(अ), तारीख 25 अगस्त, 2000
 - (ख) सं. सा.का.नि 89(अ), तारीख 12 फरवरी, 2001
 - (ग) सं. सा.का.नि 103(अ), तारीख 19 फरवरी, 2001
 - (घ) सं, सा,का.नि 200(अ), तारीख 21 मार्च, 2001
 - (ङ) सं. सा.का.नि 5(अ), तारीख 2 जनवरी, 2002

(1)

- (च) सं. सा.का.नि. 261(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2002
- (छ) सं. सा.का.नि. 465(अ), तारीख 2 जुलाई, 2002
- (ज) सं. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 8 जुलाई, 2002
- (झ) सं. सा.का.नि. 755(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2002
- (ञ) सं. सा.का.नि. 756(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2002
- (ट) सं. सा.का.नि. 224(अ), तारीख 18 मार्च, 2003
- (ठ) सं. सा.का.नि. 398(अ), तारीख 14 मई, 2003
- (इ) सं. सा.का.नि. 452(अ), तारीख 3 जून, 2003
- (ढ) सं. सा.का.नि. 453(अ), तारीख 4 जुन, 2003
- (ण) सं. सा.का.नि. 11(अ), तारीख 7 जनवरी, 2004
- (त) सं. सा.का.नि. 13(अ), तारीख ७ जनवरी, 2004
- (थ) सं. सा.का.नि. 209(अ), तारीख 23 मार्च, 2004
- (द) सं. सा.का.नि. 455(अ), तारीख 30 जून, 2007
- (ध) सं. सा.का.नि. 778(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2007
- (न) सं. सा.का.नि. 92(अ), तारीख 15 फरवरी, 2008
- (य) सं. सा.का.नि. 838(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2009

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2010

No. FEMA 204/2010-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2010

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), as amended from time to time, namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2010.
- (ii) They shall come into force from the date(s) specified hereunder.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Regulation 6 after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be added, namely:—

(i) "(3) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow Project Offices set up in India by foreign companies in terms of clause (ii) of Regulation 5 of Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000 dated May 3, 2000, as amended from time to time to open, hold and maintain non-interest bearing foreign currency account in India for the projects to be executed in India."

The regulation shall be deemed to have come into force from May 17, 2005.@

(ii) In sub-regulation (3) of Regulation 6 as amended by clause (i) above, for the words "foreign currency account" the words "one or more foreign currency accounts" shall be substituted, which shall be deemed to have come into force from July 31, 2008.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV (Part File)]
SALIM GANGADHARAN, Chief General
Manager-in-Charge

Foot Note:

- 2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 393 (E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*:
- (a) No. G.S.R. 675(E), dated August 25, 2000
- (b) No. G.S.R. 89(E), dated February 12, 2001
- (c) No. G.S.R. 103(E), dated February 19, 2001
- (d) No. G.S.R. 200(E), dated March 21, 2001
- (e) No. G.S.R. 5(E), dated January 2, 2002
- (f) No. G.S.R. 261 (E), dated April 9, 2002
- (g) No. G.S.R. 465(E), dated July 2, 2002
- (h) No. G.S.R. 474(E), dated July 8, 2002
- (i) No. G,S.R. 755(E), dated November 8, 2002
- (j) No. G.S.R. 756(E), dated November 8, 2002
- (k) No. G.S.R. 224(E), dated March 18, 2003
- (l) No. G.S.R. 398(E), dated May 14, 2003
- (m) No. G.S.R. 452(E), dated June 3, 2003
- (n) No. G.S.R. 453(E), dated June 4, 2003(o) No. G.S.R. 11 (E), dated January 7, 2004
- (p) No. G.S.R. 13(E), dated January 7, 2004
- (g) No. G.S.R. 209(E), dated March 23, 2004
- (r) No. G.S.R. 455(E), dated June 30, 2007
- (s) No. G.S.R. 778(E), dated December 19, 2007
- (t) No. G.S.R. 92(E), dated February 15, 2008
- (u) No. G.S.R. 838(E), dated November 23, 2009

अधिसूचना

मुम्बई, 7 अप्रैल, 2010

सं. फेमा 205/2010-आर.बी.

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010

सा.का.नि. 341(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010 कहे जायें।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/आरबी-2000) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में संदर्भित) के,

- (i) विनियम 6 के उप-विनियम (2) में, खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(iv) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार
 - आधार पर निम्नवत् प्रस्ताव दिया जायेगा :
 - (क) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनी के शेयरों के मामलों में कम्पनी द्वारा नियत मूल्य पर;
 - (ख) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध कम्पनी के शेयरों के मामलों में उस मूल्य पर जो कि स्वत्वाधिकार आधार पर निवासी शेयरधारकों को दिये गये मूल्य से कम न हो।"
- (ii) अनुसूची । में पैराग्राफ 5 को निम्निलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"5. निर्गम मूल्य

भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को इस अनुसूची के तहत जारी शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा—

(क) जहाँ पर शेयर कम्पनी, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उस कम्पनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिभय बोर्ड के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया मूल्य;

- (ख) जहाँ पर शेयर कम्पनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो तो उस कम्पनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार द्वारा बटट्यात मुक्त नकदी प्रवाह विधि के अनुसार किया गया उचित मूल्यांकन; और
- (ग) जहाँ पर शेयर अधिमान्य आवंटन पर जारी हुए हों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक निवासी व्यक्ति से अनिवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-बोल्यूम IV(पार्ट फाइल)] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सं. सा.का.नि. 406 (अ) में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित किए गए हैं:—

सं साकानि 158(अ), दिनांक 2-3-2001

सं. सा.का.नि 175(अ), दिनांक 13-3-2001

सं. सा.का.नि 182(अ), दिनांक 14-3-2001

सं. सा.का.नि 4(अ), दिनांक 2-1-2002

ंसं. सा.का.नि 574(अ), दिनांक 19-8-2002

सं. **सा.का**.नि 223(अ), दिनांक 18-3-2003

सं. सा.का.नि 225(अ), दिनांक 18-3-2003

सं. सा.का.नि 558(अ), दिनांक 22-7-2003

सं. सा.का.नि 835(अ), दिनांक 23-10-2003

सं. सा.का.नि 899(अ), दिनांक 22-11-2003

. सं. सा.का.नि 12(अ), दिनांक 7-1-2004

सं. सा.का.नि 278(अ), दिनांक 23-4-2004

सं. सा.का.नि 454(अ), दिनांक 16-7-2004

सं. सा.का.नि 625(अ), दिनांक 21-9-2004

सं. सा.का.नि 799(अ), दिनांक 8-12-2004

सं. सा.का.नि 201(अ), दिनांक 1-4-2005

सं. सा.का.नि 202(अ), दिनांक 1-4-2005

सं. सा.का.नि 504(अ), दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.नि 505(अ), दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.नि 513(अ), दिनांक 29-7-2005

सं. सा.का.नि 738(अ), दिनांक 22-12-2005

सं. सा.का.नि 29(अ), दिनांक 19-1-2006

सं. सा.का.नि 413(अ), दिनांक 11-7-2006

सं. सा.का.नि 712(अ), दिनांक 14-11-2007

सं. सा.का.नि 713(अ), दिनांक 14-11-2007

सं. सा.का.नि 737(अ), दिनांक 29-11-2007

सं. सा.का.नि 575(अ), दिनांक 5-8-2008

सं. सा.का.नि 896(अ), दिनांक 30-12-2008

सं. सा.का.नि 851(अ), दिनांक 1-12-2009

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th April, 2010

No. FEMA 205/2010-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2010

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:-

1. Short Title and Commencement :-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2010.
- They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), (hereafter referred to as "the principal regulations")

- (i) In Regulation 6, in sub-regulation (2), for clause (iv), the following shall be substituted, namely:— "(iv) The offer on right basis to the persons resident outside India shall be:
- (a) in the case of shares of a company listed on a recognized stock exchange in India, at a price as determined by the company;
- (b) in the case of shares of a company not listed on a recognized stock exchange in India, at a price which is not less than the price at which the offer on right basis is made to resident shareholders."
- (ii) In Schedule 1, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely :-

"5. Issue price

Price of shares issued to persons resident outside India under this Schedule, shall not be less than-

the price worked out in accordance with the SEBI guidelines, as applicable, where the shares of the company is listed on any recognised stock exchange in India;

- the fair valuation of shares done by a SEBI registered Category-I Merchant Banker or a Chartered Accountant as per the discounted free cash flow method, where the shares of the company is not listed on any recognised stock exchange in India; and
- the price as applicable to transfer of shares from resident to non-resident as per the pricing guidelines laid down by the Reserve Bank from time to time, where the issue of shares is on preferential allotment."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol./IV (Part File)] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated May 8, -2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

No. G.S.R. 158(E) dated 2-3-2001

No. G.S.R. 175(E) dated 13-3-2001

No. G.S.R. 182(E) dated 14-3-2001

No. G.S.R. 4(E) dated 02-1-2002

No. G.S.R. 574(E) dated 19-8-2002

No. G.S.R. 223(E) dated 18-3-2003

No. G.S.R. 225(E) dated 18-3-2003

No. G.S.R. 558(E) dated 22-7-2003

No. G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003

No. G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003

No. G.S.R. 12(E) dated 7-1-2004

No. G.S.R. 278(E) dated 23-4-2004

No. G.S.R. 454(E) dated 16-7-2004

No. G.S.R. 625(E) dated 21-09-2004

No. G.S.R. 799(E) dated 8-12-2004

No. G.S.R. 201(E) dated 1-4-2005

No. G.S.R. 202(E) dated 1-4-2005

No. G.S.R. 504(E) dated 25-7-2005 No. G.S.R. 505(E) dated 25-7-2005

No. G.S.R. 513(E) dated 29-7-2005

No. G.S.R. 738(E) dated 22-12-2005

No. G.S.R. 29(E) dated 19-1-2006

No. G.S.R. 413(E) dated 11-7-2006

No. G.S.R. 712(E) dated 14-11-2007

No. G.S.R. 713(E) dated 14-11-2007

No. G.S.R. 737(E) dated 29-11-2007

No. G.S.R. 575(E) dated 5-8-2008

No. G.S.R. 896(E) dated 30-12-2008

No. G.S.R. 851 (E) dated 1-12-2009